प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12th अगस्त, 2026

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन माल एवं सेवा कर पर प्रस्तुत

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए माल एवं सेवा कर (2026 का प्रतिवेदन सं. 20) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर के निर्धारण और संग्रह से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में विभाजित है। अध्याय । में अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के संगठनात्मक ढाँचे, अप्रत्यक्ष कर राजस्व में रूझानों एवं अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अध्याय ।। में राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा प्रतिदर्श एवं लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन दिया गया है। अध्याय-III में जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली के तृतीय चरण के लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। अध्याय-IV में माल एवं सेवा कर के अंतर्गत कार्य संविदा और निर्माण सेवाओं पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के दौरान पाए गए प्रणालीगत तथा अनुपालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नलिखित हैं:

वित्त वर्ष 23 की तुलना वित्त वर्ष 24 में अप्रत्यक्ष कर के संग्रह में ₹ 1,14,847 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 24 में केंद्रीय जीएसटी राजस्व, वित्त वर्ष 23 की तुलना में 13 प्रतिशत (₹ 1,08,804 करोड़) बढ़ा।

(पैराग्राफ 1.3)

जीएसटीएन की सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली की लेखापरीक्षा का तृतीय चरण इस बात का आकलन करने के लिए आयोजित किया गया था कि जीएसटीएन ने लेखापरीक्षा के पूर्ववर्ती दो चरणों के निष्कर्षों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया है तथा पंजीकरण और विवरणी मॉड्यूल में लागू की गई अतिरिक्त कार्यात्मकताओं एवं आईजीएसटी निपटान प्रतिवेदनों का

मूल्यांकन करने के साथ-साथ सूचना प्रोद्यौगिकी प्रशासन और सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा की भी समीक्षा की गई।

(पैराग्राफ 3.2)

लेखापरीक्षा में करदाता पंजीकरण मॉड्यूल के फ्रंट-एंड भाग में आठ सुविधाओं में अनुचित और अपर्याप्त सत्यापन के संदर्भ में त्रुटियाँ पाई गईं और कर अधिकारियों के मॉड्यूल में पंजीकरण की स्वीकृति और रद्द करने, संभावित उल्लंघनों की निगरानी के लिए चेतावनी तंत्र और पंजीकरण की स्वीकृति में प्रक्रिया में विलंब से संबंधित सात कार्यात्मकताओं में त्रुटियाँ पाई गईं।

(पैराग्राफ 3.5)

लेखापरीक्षा में विवरणी मॉड्यूल में कार्य नियमों की मैपिंग में नौ कमियां पाई गईं और विवरणी दाखिल करने, करदाताओं की पात्रता सत्यापित करने, कर देयता का निर्वहन करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लेने और निगरानी में सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रणालीगत अलर्ट भेजने से संबंधित कार्यप्रणालियों को लागू नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 3.6)

लेखापरीक्षा ने विभिन्न निपटान रिपोर्टों से संबंधित पांच कमियों को पाया, जो तैयार नहीं की गई थीं और उन मामलों में आईजीएसटी के आवंटन में विसंगतियों को पाया जहां निपटान रिपोर्टें बनाई गई थीं।

(पैराग्राफ 3.7**)**

सूचना प्रोद्यौगिकी शासन और सूचना प्रोद्यौगिकी सुरक्षा क्षेत्रों में कुछ कमियां थीं, जिनमें सूचना प्रोद्यौगिकी ढांचे के आंशिक अनुपालन, पोर्टल क्षमता बढ़ाने और अधिक लचीले डेटा केंद्रों पर जाने के संदर्भ में अवसंरचना की योजना में कमियां सम्मिलित थीं ।

(पैराग्राफ 3.8**)**

जीएसटीएन के आईटी ऑडिट के दौरान देखी गई कमियों को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑडिट अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं।

i. जीएसटीएन फ्रंट-एंड करदाता पंजीकरण मॉड्यूल में सत्यापन संबंधी त्रुटियों के निवारण में तेजी लाए।

ii. जीएसटीएन कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने वाले पात्र करदाताओं पर लगाए गए अनुचित प्रतिबंधों के संशोधन में तेजी लाए।

iii. जीएसटीएन भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अपलोड करने की कार्यप्रणाली में कमियों, पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्य नियमों की गलत मैपिंग और बैंकिंग प्लेटफार्मों के एकीकरण में त्रुटियों को दूर करे।

iv. जीएसटीएन कंपोजिशन लेवी योजना के तहत करदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने में तेजी लाए।

v. जीएसटीएन क्रमिक विवरणी दाखिल करने की कार्यक्षमता में विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाए।

vi. जीएसटीएन विवरणी में स्वतः भरे गए मूल्यों में असंगतियों और विसंगतियों को ठीक करे क्योंकि यह विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के अनुपालन और सरलीकरण को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

vii. जीएसटीएन संशोधित निपटान प्रक्रिया के साथ नियमों की असंगति के मुद्दे और अपराधों के शमन के बदले एकत्रित आईजीएसटी का समायोजन न करने के मामले का समाधान करे।

(पैराग्राफ 3.10)

कार्य संविदा एवं निर्माण सेवाओं पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) का उद्देश्य, अप्रैल 2020 से मार्च 2022 की अवधि हेतु, सीबीआईसी द्वारा प्रशासित करदाताओं करदाताओं और/या विभाग द्वारा अनुपालन के प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ गैर-अनुपालन के मामलों की पहचान करना था। लेखापरीक्षा ने 850 करदाताओं और 71 रेंज का चयन किया।

(पैराग्राफ 4.2 और 4.5)

लेखापरीक्षा के दौरान सड़क, पुल, रेलवे और मिट्टी की खुदाई के कार्य से जुड़े कार्य संविदा पर रियायती कर रेट/छूट का गलत फायदा उठाना; सरकारी प्राधिकारी/इकाई को दी गई कार्य संविदा सेवा पर कम कर चुकाना; आरसीएम के अंतर्गत बिल्डर/डेवलपर द्वारा कम कर चुकाना; आवासीय अचल संपत्ति/ अचल संपत्ति परियोजनाओं में गड़बड़ियां; चल रहे/पूरी हो चुके परियोजनाओं पर आईटीसी का गलत फायदा उठाना; आयकर अधिकारियों द्वारा पता लगाई गई बिना हिसाब-किताब वाले 'धन से' आय पर जीएसटी न चुकाना और मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने में कर की देनदारी कम चुकाना जैसे कारण से नियमों के पालन में नियमों के पालन में कमी के 123 मामले पाये गये, जिनसे ₹ 190.98 करोड़ का राजस्व प्रभाव पड़ा ।

(पैराग्राफ 4.7.3)

लेखापरीक्षा में 522 करदाताओं से संबंधित 1,057 अनुपालन त्रुटियाँ पाई गईं जिनमें जीएसटी पंजीकरण में सेवा कोड और अतिरिक्त व्यवसाय स्थानों का उल्लेख न करना, आईटीसी के लाभ में असंगति तथा कर और ब्याज के कम उद्ग्रहण जैसी त्रुटियाँ सम्मिलित थीं, जिनमें ₹ 188.98 करोड़ की राशि सम्मिलित थी।

(पैराग्राफ 4.7.4**)**

उन्नीस रेंजों ने करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी रिटर्न की जांच संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं कराया। लेखापरीक्षा ने नमूना रेंजों में से 57 रेंजों में पर्यवेक्षण कार्यों में त्रुटियाँ पाईं। जबकि चार रेंजों ने अपेक्षित रूप से संवीक्षा नहीं की, वहीं 11 रेंजों में संवीक्षा किए गए मामलों में त्रुटियाँ पाई गईं, जो निर्धारित कर/ब्याज में अंतराल को दर्शाती हैं, जो ₹ 3.18 करोड़ की राशि है।

बारह रेंजों के 73 मामलों में, लेखापरीक्षा ने विलंब पाया, जो मुख्यतः एएसएमटी-10 और एएसएमटी-12 जारी करने तथा जीएसटी की धारा 73 और 74 के अंतर्गत कार्रवाई करने में था। लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) द्वारा चिह्नित मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई 10 रेंजों के 76 मामलों में अपर्याप्त पाई गई, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 12.81 लाख था।

(पैराग्राफ 4.7.5**)**

कुछ महत्वपूर्ण ऑडिट अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं।

- विभाग एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत संवीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा में मामलों के बड़े नमूने को सम्मिलित किया जाए, जहाँ कार्य संविदा सेवाओं से संबंधित रियायतों का लाभ उप-संविदाकारों/ उप-उप-संविदाकारों द्वारा लिया जा रहा हो, जो सड़क, पुल और रेलवे के कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं, ताकि करदाताओं द्वारा कर का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

- विभाग ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिसके अंतर्गत उन मामलों की समीक्षा (जैसे कि उन्हें जांच, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के लिए चयनित करना) की जाए, जहाँ कार्य संविदा या निर्माण सेवाओं का निष्पादन करने वाले करदाता सरकारों से सेवाएँ प्राप्त करते हैं अथवा अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से इनपुट तथा इनपुट सेवाएँ खरीदते हैं, ताकि ऐसे करदाताओं द्वारा आरसीएम के अंतर्गत कर का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

- विभाग को सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने तथा आयकर प्राधिकरणों के पास उपलब्ध अघोषित आय संबंधी जानकारी का उपयोग करते हुए

कार्य संविदा और निर्माण सेवाएँ प्रदान करने वाले करदाताओं की संबंधित जीएसटी देयता का निर्धारण करना चाहिए।

(पैराग्राफ 4.10**)**

BSC/TT/36-26